पी. सी. जैन और एस. एस. कांग, न्यायाधीशों के समक्ष

सूरत राम और अन्य - याचिकाकर्ता।
बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाताओं*

1978 की सिविल रिट संख्या 3744।
16 अप्रैल, 1979।

हरियाणा अधिनियम 17 1973 द्वारा यथा संशोधित पंजाब नगर सुधार अधिनियम (1922 का IV) - धारा 24, 28, 44 और 44A - विकास धारा 42 के तहत स्वीकृत योजना - क्या पांच साल के बाद निष्पादित की जा सकती है - निष्पादन के लिए अवधि का विस्तार - क्या केवल पांच साल की समाप्ति से पहले ही दी जा सकती है।

पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 की धारा 44ए के अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक योजना जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 42 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है, को ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर सुधार ट्रस्ट द्वारा निष्पादित किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर योजना निष्पादन योग्य नहीं होगी। विधायिका द्वारा प्रदान किया गया एकमात्र रक्षोपाय परंतुक के रूप में है जो राज्य सरकार को योजना के निष्पादन की अवधि बढ़ाने की शक्ति देता है यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि इसे निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 42 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख से पांच साल के भीतर सुधार ट्रस्ट द्वारा एक योजना निष्पादित की जानी है और यह कि राज्य सरकार द्वारा योजना के निष्पादन के लिए समय केवल पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले बढ़ाया जा सकता है, न कि उसके बाद। (पैरा 4 और 6) ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि:

(□) यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों से मामले से संबंधित रिकॉर्ड मांगने की कृपा कर सकता है और उनके अवलोकन के बाद 'आक्षेपित योजना, हॉटिस, अनुलग्नक पी-1, पी-2 और पी-4 और 5

अक्टूबर के आदेश के साथ की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। 1978, योजना के कथित कार्यान्वयन में उत्तरदाताओं द्वारा अनुलग्नक आर -6 ,

(□) प्रतिवादियों को अधिनियम के प्रावधानों को छोड़कर मामले में आगे बढ़ने से रोका जाए;

(□) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, उसे भी प्रदान किया जा सकता है;

(यह) इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को विवादित संपत्ति से बेदखली पर रोक लगाई जाए;

(□) प्रतिवादियों पर प्रस्ताव की सूचना की सेवा समाप्त की जाए ;

(□) याचिकाकर्ताओं को अनुबंध पी -1 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जा सकती है; o.nd

(ii) याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

एम.पी. मलेरी, वकील, याचिकाकर्ता की ओर से ।

उत्तरदाताओं की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता एएस नेहरा।

निर्णय

प्रेम चंद जैन, न्यायाधीश.

(1) इस मामले में जिस संक्षिप्त प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1928 की धारा 24/28 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत बनाई गई और अंत में अधिनियम की धारा 42 के तहत स्वीकृत विकास योजना को पांच साल की अवधि की समाप्ति के बाद कानूनी रूप से निष्पादित किया जा सकता है?

(2) जिन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है, वे यह हैं कि जगाधरी सुधार न्यास जगाधरी ने अधिनियम की धारा 24/28 के तहत सुथरान गली, जगाधरी में स्थित एक एकड़ क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार की थी कि उक्त योजना सभी

औपचारिकताओं का पालन करने के बाद राज्य सरकार द्वारा 15 फरवरी को अधिनियम की धारा 42 के तहत स्वीकृत की गई थी। (ग) वर्ष 1972 और इस संबंध में अधिसूचना 27 फरवरी, 1972 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी कि स्वीकृत योजना के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी; और यह कि राज्य सरकार ने दिनांक 5 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना सं 14/102/78-3सीआई के तहत अधिनियम की धारा 44-क के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए योजना के निष्पादन की अवधि को और दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका के माध्यम से राज्य सरकार की इस कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के रूप में चुनौती दी है।

(3) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री मालेरी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि लागू योजना, जिसे अंततः 15 फरवरी, 1972 को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, को इसकी मंजूरी की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर निष्पादित किया जा सकता है, अर्थात, योजना के निष्पादन के लिए तनाव राज्य सरकार द्वारा पांच साल की अवधि के दौरान दिया जा सकता है, न कि उसके बाद, केवल तभी जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि इस योजना को कार्यान्वित करना न्यास के नियंत्रण से बाहर है और पांच वर्ष की समाप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा समय का कोई विस्तार नहीं किया जा सकता है।

(4) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की दलील ों में तर्कसंगत बल है, अधिनियम की धारा 44-ए समय प्रदान करती है। योजना के निष्पादन के लिए सीमा। उक्त खंड इस प्रकार है:

"कोई भी योजना जिसके संबंध में धारा 42 के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है, ट्रस्ट द्वारा निष्पादित की जाएगी।

ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर:

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि वह संतुष्ट है कि उक्त अवधि के भीतर योजना को निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर है, तो वह इसे बढ़ा सकती है जो वह उचित समझे।

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक योजना जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 42 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई

है, को ट्रस्ट द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर योजना निष्पादन योग्य नहीं होगी। विधायिका द्वारा प्रदान किया गया एकमात्र रक्षोपाय परंतुक के रूप में है जो राज्य सरकार को योजना के निष्पादन के लिए परिधिका विस्तार करने की शक्ति देता है यदि वह संतुष्ट है कि इसे निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर है। धारा 44एम 4 ए को हरियाणा के राज्य विधानमंडल द्वारा पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1973 - हरियाणा के माध्यम से जोड़ा गया था। 1973 का अधिनियम 17। धारा 44-ए को शामिल करने से पहले, योजना के निष्पादन के लिए क़ानून में कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई थी,

(5) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त प्रावधान को शामिल करके, एक बड़ी कमी को दूर करने की कोशिश की गई है, अर्थात, अब सुधार ट्रस्ट योजनाओं को अनिश्चित काल तक चलने की अनुमति नहीं दे सकता है और उसे पांच साल की समाप्ति से पहले योजना को निष्पादित और पूरा करना होगा। इसमें कोई लाभ नहीं है कि विलंब होने की स्थिति में योजना का उद्देश्य सामान्यत या निराश हो जाता है और भू-स्वामी अथवा योजना से प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्तियों को भारी असुविधा होती है। हम अतिरिक्त महाधिवक्ता नेहरा से सहमत नहीं हैं कि यह प्रावधान पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद ही लागू होता है। संविधान की भाषास्पष्ट है और जो हमने रखी है उसके अलावा किसी अन्य व्याख्या की अनुमति नहीं देती है।

(6) मामले के इस दृष्टिकोण में, यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 42 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख के पांच साल के भीतर सुधार ट्रस्ट द्वारा एक योजना निष्पादित की जानी है और राज्य सरकार द्वारा योजना के निष्पादन के लिए समय केवल पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले बढ़ाया जा सकता है, न कि उसके बाद।

1

---

(7) उदाहरण के मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिसूचना जारी होने के पांच साल के भीतर योजना को निष्पादित नहीं किया गया था और यह 5 only,—*vide* अक्टूबर, 1978 की अधिसूचना संख्या 14/102/78-3सीआई थी, कि अधिनियम की धारा 44-ए के तहत शक्तियों का

प्रयोग करते हुए पांच साल की अवधि को दो साल की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

उपरोक्त हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार करते हैं, 27 फरवरी, 1972 को प्रकाशित योजना और इस मामले में बाद की कार्यवाही को रद्द करते हैं।

एस.सी.के.

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा